BEFORE THE LEARNED NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board)

Original Application No. 780 of 2024

Parmjeet Singh ... Applicant

Versus

Union of India & Ors. ... Respondents

Sr. No.	Description of Documents	Page Nos.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-6
3.	**Annexure No. 1**: (Copy of Letter dated 11.12.2025)	7
4.	**Annexure No. 2**: (Copy of Letter dated 15.01.2026 along with the inspection report)	8-11
5.	**Annexure No. 3**: (Copy of Letter dated 29.01.2026)	12
6.	**Annexure No. 4**: (Copy of Letter dated 29.01.2026)	13
7.	**Annexure No. 5**: (Copy of the relevant portion of Stone crusher policy 2021)	14- 51

Date:

Place: Dehradun

Mukesh Verma,
(Counsel for Respondent)
Chamber No. 50,
Supreme Court of India, New Delhi

BEFORE THE LEARNED NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT

(On behalf of Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board)

In

Original Application No. 780 of 2024

Parmjeet Singh Applicant

Versus

Union of India & Ors.

Respondents

AFFIDAVIT of Dr. Parag Madhukar Dhakate (Male), aged about 51 years S/o Shri M.B Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Uttarakhand.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board and as such is fully conversant with the facts of the case and is competent to sign and swear the instant affidavit.
2. That the above-mentioned matter was listed for hearing on 20.11.2025 wherein the Learned National Green Tribunal was pleased to issue the following directions: -

"........

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

4.Learned counsel appearing for the applicant submits that the Uttarakhand State PCB does not look at the issue of elephant corridor of wildlife effect while granting the clearances. The counsel for the applicant during the course of hearing has also raised the issue of setting up of the crusher on an active flood zone. Hence, we require the Member Secretary, Uttarakhand State PCB to file his personal affidavit within three weeks responding to these aspects.

……."

3. It is humbly submitted that the Environment Engineer, Uttarakhand Pollution Control Board, *vide* letter dated 11.12.2025, directed the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, to submit a factual report to ensure compliance of the directions of this Learned Tribunal. In this connection, a copy of the letter dated 11.12.2025 is being marked and filed as **Annexure no. 01** to this affidavit.
4. That an inspection dated 19.12.2025 was conducted by the Regional Office, UKPCB. In furtherance of the inspection, the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, *vide* letter dated 15.01.2026, submitted an inspection report in respect of M/s Balaji Associates (Stone Crusher) (Respondent No. 10), situated at Village–Fatehpur Tanda, wherein it was observed that the said unit is complying with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, the Stone Crusher Policy, 2021, and the Environmental Guidelines for Stone Crushing Unit, issued by the Central Pollution Control Board in July, 2023. Additionally, the Regional Officer also recommended that information may be sought from the Forest Department with respect to the issue of elephant corridor and from the Irrigation Department with respect to the issue of active flood zone. In this connection, a copy of the letter dated

NOTARY
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Reg.No.-09/01/02
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

15.01.2026 along with the Inspection report dated 19.12.2025 is collectively being marked and filed as **Annexure no. 02** to this affidavit.

5. That the Member Secretary, UKPCB *vide* letter dated 29.01.2026 requested the Sub-divisional Magistrate, Doiwala to clarify the factual position with respect to the stone crusher on the active flood zone. In this connection, a copy of the letter dated 29.01.2026 is being marked and filed as **Annexure no. 03** to this affidavit.
6. That additionally, the Member Secretary, UKPCB *vide* letter dated 29.01.2026 requested the District Forest Officer, Dehradun to clarify the factual position with respect to the issue of Elephant Corridor. In this connection, a copy of the letter dated 29.01.2026 is being marked and filed as **Annexure no. 04** to this affidavit.
7. It is pertinent to mention that the information sought from the concerned departments is awaited for taking further action in accordance with law.
8. It is also pertinent to emphasize that earlier, in accordance with the provisions of the *Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plants, Pulveriser, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Hot Mix Plant and Ready Mix Plant Anugya Niti, 2021*, a Joint Committee conducted a site inspection of the concerned unit dated 03.03.2022. The Joint Committee comprised representatives of the Sub-Divisional Magistrate (SDM), District Forest Officer (DFO), Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB), and District Mining Officer. On the basis of the observations made by the Joint Committee, permission (*Anugya*) was granted to the unit (Respondent No. 10) by the Competent authority. Further, the unit was granted Environmental Clearance *vide* letter dated 30.01.2024 by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) (Respondent No. 5). Thereafter, the Uttarakhand Pollution Control Board granted the Consent to Establish to the concerned unit in accordance with the applicable statutory provisions. At the time of the Joint Committee inspection, no

NOTARY
Km. Urmila B...
Advocate
Reg.No.-...
Dehra Dun.
STATE OF UTTARAKHAND

information relating to the existence of an elephant corridor or the issue of the unit being situated in an active flood zone was recorded or brought on record.

9. It is respectfully submitted that the format of joint inspection report regarding establishment of stone crusher/screening plant and mineral storage permission in the plant premises as notified in the Stone Crusher Policy 2021 does not contain any reference to the Elephant Corridor Zone. However, the Uttarakhand Pollution Control Board has sought information from the concerned department. In this connection, a copy of the relevant portion of Stone Crusher Policy 2021 is being marked and filed as **Annexure no. 05** to this affidavit.

10. That the deponent is a responsible Government servant having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on the 02 day of February 2026, that the contents of the response affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Identified by: Priyanka Jina Advocate UK/1475/2022

Deponent

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND Km. Urmila Bhatia Advocate Reg.No.09/01/02 Dehra Dun.

affidavit is sworn before me by Dr. Parag Madhukar Dhakate
Identified Shri. Priyanka Jina Adv.
Dehradun on 02/2/2026

KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

Annexure-1

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–791/2025/1476, दिनांक 11.12.2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय, ई–115, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून।

विषयः– मा0 हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 Parmjeet Singh Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 का अवलोकन करना चाहें जिसमें मा0 हरित अधिकरण द्वारा अन्य निर्देशों के साथ निम्न निर्देश दिये हैंः–

4. *Learned counsel appearing for the applicant submits that the Uttarakhand State PCB does not look at the issue of elephant corridor of wildlife effect while granting the clearances. The counsel for the applicant during the course of hearing has also raised the issue of setting up of the crusher on an active flood zone. Hence, we require the Member Secretary, Uttarakhand State PCB to file his personal affidavit within three weeks responding to these aspects.*

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के क्रम में अपनी तथ्यात्मक आख्या 07 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे की सदस्य सचिव महोदय की ओर से दिया जाने वाला शपथ पत्र मा0 हरित अधिकरण में ससमय प्रेषित किया जा सके।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

09.12.2025

(डा. अंकुर कंसल)
पर्यावरण अभियंता

Clean Environment and Healthy Life Style
स्वच्छ पर्यावरण व स्वस्थ जीवन शैली

Annexure-2

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

UTTARAKHAND
UEPPCB

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-139/2025–26/3697-2775 दिनांक: 15/01/2026

Uttarakhand Pollution Control Board
Diary No. 9329
Date 22/01/26

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण भवन
आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

विषय– मा0 हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 Paramjeet Singh Vs. Union of India Ors. दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

बोर्ड मुख्यालय के पंत्र पंत्राक सं0: UKPCB/HO/Gen-183-791/2025/1476 Dated 11.12.2025 के संर्न्दभ में जिसमे मा0 हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 Paramjeet Singh Vs. Union of India & Ors. दिनांक 20.11.2025 मे पारित आदेशो मे मै0 बालाजी एसोसियेटस (स्टोन क्रेशर), ग्राम–फतेहपुर टाण्डा, तहसील–डोईवाला, देहरादून की आख्या चाही गयी है। निरीक्षण आख्या सलंग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

<u>**संलग्नक–यथोपरि।**</u>

भवदीय

15/01/2026

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 Paramjeet Singh Vs. Union of India & Ors. दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पंत्र पंत्राक सं0: UKPCB/HO/Gen-183-791/2025/1476 Dated 11.12.2025 के सन्दर्भ में जिसमे मा0 हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 Paramjeet Singh Vs. Union of India & Ors. दिनांक 20.11.2025 मे पारित आदेशो मे मै0 बालाजी एसोसियेटस (स्टोन क्रेशर), ग्राम–फतेहपुर टाण्डा, तहसील–डोईवाला, देहरादून की आख्या चाही गयी है। क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा स्टोन क्रेशर का निरीक्षण दिनांक 19.12.2025 को उद्योग प्रतिनिधी श्री प्रकाश सिह की उपस्थिति में किया गया। आख्या निम्नवत् है–

1. मै0 बालाजी एसोसियेटस(स्टोन क्रेशर),ग्राम–फतेहपुर फतेहपुर टाण्डा, तहसील–डोईवाला,देहरादून में सचालित है।
2. स्टोन क्रेशर को उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 संख्या–2880/VII-A-1/2023-20 (स्टोन क्रेशर)/2015 देहरादून दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 के द्वारा ग्राम–फतेहपुर टाण्डा, तहसील–डोईवाला, देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत खासरा संख्या 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल रकबा 1.9565 है0 भूमि में 100 टन/घंटा क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त है।
3. स्टोन क्रेशर को बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति दिनांक 18.01.2024 एंव संचालनार्थ सहमति दिनांक 23.05.2025 के द्वारा Stone Aggregate of various & Dust–100 TPH के उत्पादन क्षमता हेतु प्राप्त है। जिसकी वैधता 31.03.2028 है।
4. स्टोन क्रेशर द्वारा परिसर में Wind Breaking Wall एंव GI Sheet के माध्यम से लगभग 15 फिट उंचाई की स्थापना की गई है। फोटोग्राफ सलग्न है। **(संलग्नक–1)**
5. स्टोन क्रेशर द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को GI Sheet के माध्यम से covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है। **(संलग्न)**
6. स्टोन क्रेशर द्वारा परिसर में मैटेलिक रोड़ का निर्माण किया गया है।**(संलग्न)**
7. स्टोन क्रेशर के द्वारा परिसर में धूलकण नियंत्रण हेतु रोड़ पर Water Sprinkler व पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है। **(संलग्न)**
8. स्टोन क्रेशर के चारों ओर हरित पट्टिा विकसित है। **(संलग्न)**
9. स्टोन क्रेशर द्वारा स्थापित फब्वारो को पाईप लाईन के माध्यम से नोजल की स्थपना की गयी है। **(संलग्न)**
10. स्टोन क्रेशर द्वारा कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम को ID Fan के माध्यम से स्क्रबिंग की जाती है। **(संलग्न)**

उपरोक्तानुसार स्टोन क्रेशर द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में विर्णित बिन्दुओं का अनुपालन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त संचालित स्टोन क्रेशर द्वारा स्टोन क्रेशर नीती 2021 तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइड लाईन–2023 का भी अनुपालन किया जा रहा है।

प्रशनगत स्टोन क्रेशर भूमि मे हाथीयो के गलियारा (Elephant Corridor) से वन्यजीवों के सम्बन्ध मे प्रकरण पर आख्या वन विभाग, देहरादून से एंव इसके अतिरिक्त सक्रिय बाढ क्षेत्र (Flood Plain Zone) मे स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध मे प्रकरण पर आख्या सिचाई विभाग से ली जानी उचित प्रतित होती है।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

15/1/26
(रविन्द्र पुण्डीर)
वैज्ञा0 सहायक

15.1.2026
(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

15/01/2026

Photographs

of

M/s Balaji Associates, Gram-Fatehpur Tanda, Tehsil Doiwala, Dehradun

Green Belt

RCC/Metalic Road

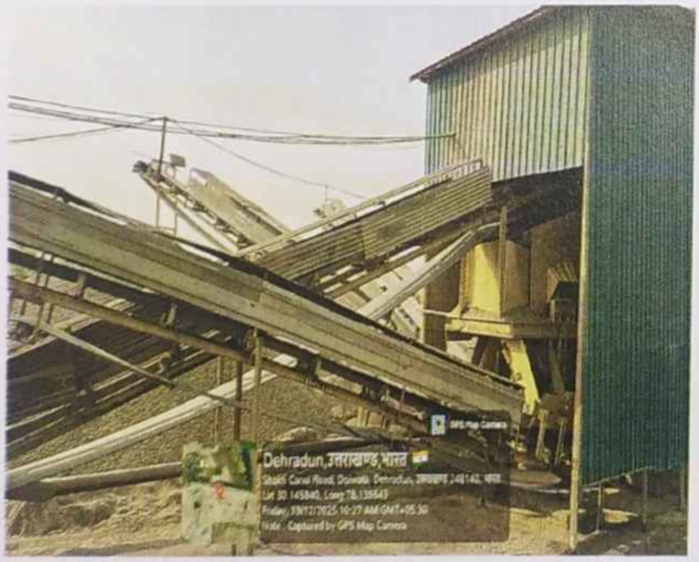

Conveyors Belt covered with GI sheet

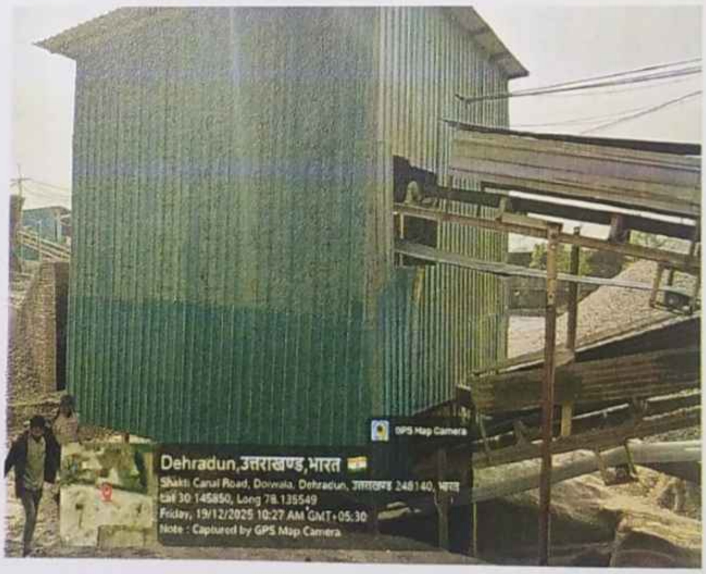

Crushing room covered with GI sheet

Water Sprinklers

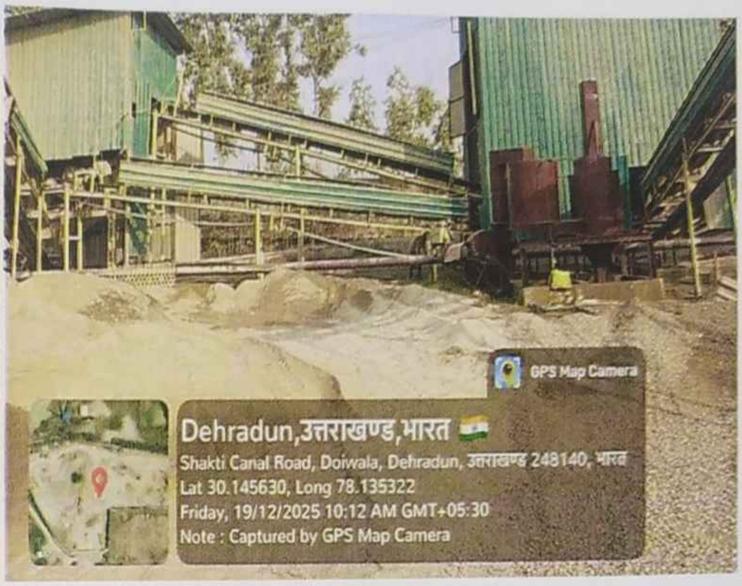

Air Pollution Control System (Dust Collector)

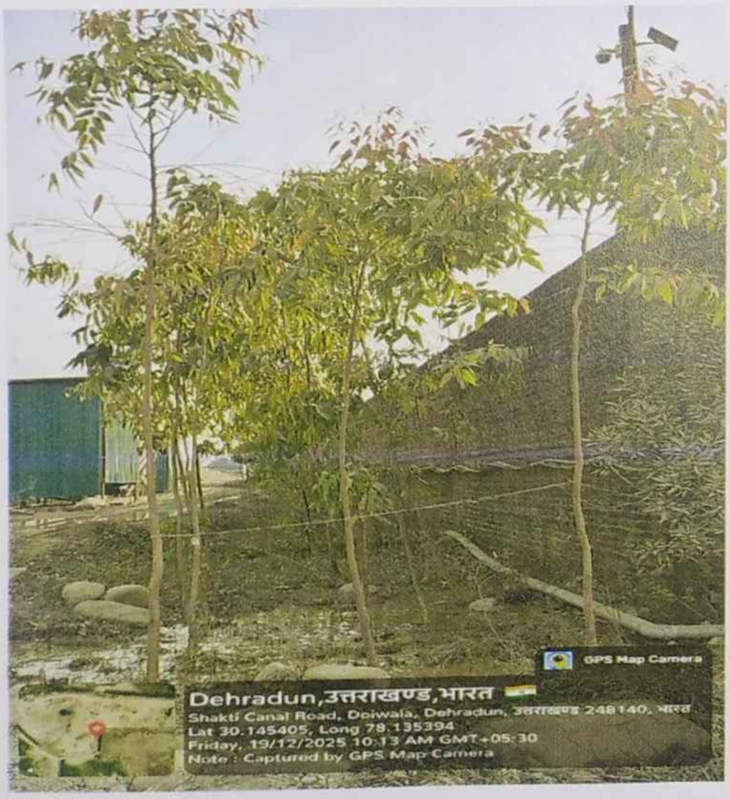

Wind Breaking Wall

Settling Tank

Annexure-3

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–791/2026/1739 दिनांक29..01.2026

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
डोईवाला, देहरादून।

विषयः– मा0 हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 Parmjeet Singh Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 का अवलोकन करना चाहें जिसमें मा0 हरित अधिकरण द्वारा अन्य निर्देशों के साथ निम्न निर्देश दिये हैं:–

4. *Learned counsel appearing for the applicant submits that the Uttarakhand State PCB does not look at the issue of elephant corridor of wildlife effect while granting the clearances. The counsel for the applicant during the course of hearing has also raised the issue of setting up of the crusher on an active flood zone. Hence, we require the Member Secretary, Uttarakhand State PCB to file his personal affidavit within three weeks responding to these aspects.*

इस सम्बन्ध में अवगत होना चाहें कि प्रकरण मै0 बालाजी एसोसियेटस, फतेहपुर, टांडा स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्पराइजर, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट और रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त समिति द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। उक्त समिति में उप–जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला खान अधिकारी के प्रतिनिधि शामिल थे। संयुक्त समिति द्वारा दी गयी टिप्पणियों और स्वीकृतियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित इकाई को अनुमति (अनुज्ञा) प्रदान की गयी थी।

तदोपरान्त उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित इकाई को स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्रदान किया जाता है। संयुक्त समिति के निरीक्षण आख्या संलग्न है। उक्त स्टोन क्रेशर के बाढ़ क्षेत्र से सम्बन्धित कोई भी जानकारी न तो दर्ज की गई थी और न ही रिकॉर्ड में लाई गई थी।

मा0 हरित अधिकरण के समक्ष बाढ़ क्षेत्र में स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित मुद्दे उठाए गए हैं, इस विषय हेतु आप सक्षम प्राधिकारी है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करें, ताकि उक्त तथ्यों को मा0 हरित अधिकरण के समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके। मा0 हरित अधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा. पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून को इस आशय के साथ कि उक्त स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित नदियों के Flood Plain Zone का विवरण देने का कष्ट करें।

सदस्य सचिव

Annexure-4

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : ukpcblegalcell@gmail.com, दूरभाष : 0135-2607092

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–791 / 2026 / 1739 1740, दिनांक 29.01.2026

एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, देहरादून।

विषयः– मा0 हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 780/2024 **Parmjeet Singh Vs. Union of India & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.2025 का अवलोकन करना चाहें जिसमें मा0 हरित अधिकरण द्वारा अन्य निर्देशों के साथ निम्न निर्देश दिये हैः–

4. *Learned counsel appearing for the applicant submits that the Uttarakhand State PCB does not look at the issue of elephant corridor of wildlife effect while granting the clearances. The counsel for the applicant during the course of hearing has also raised the issue of setting up of the crusher on an active flood zone. Hence, we require the Member Secretary, Uttarakhand State PCB to file his personal affidavit within three weeks responding to these aspects.*

इस सम्बन्ध में अवगत होना चाहें कि प्रकरण मै0 बालाजी एसोसियेटस, फतेहपुर, टांडा स्टोन क्रेशर से सम्बन्धित है। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्पराइजर, मोबाइल स्टोन क्रेशर, मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट और रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त समिति द्वारा एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। उक्त समिति में उप–जिलाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला खान अधिकारी के प्रतिनिधि शामिल थे। संयुक्त समिति द्वारा दी गयी टिप्पणियों और स्वीकृतियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित इकाई को अनुमति (अनुज्ञा) प्रदान की गयी थी।

तदोपरान्त उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सम्बन्धित इकाई को स्थापनार्थ सहमति / संचालनार्थ सहमति प्रदान किया जाता है। संयुक्त समिति के निरीक्षण आख्या संलग्न है, उक्त रिपोर्ट में हाथी गलियारे के अस्तित्व से सम्बन्धित कोई भी जानकारी न तो दर्ज की गई थी और न ही रिकॉर्ड में लाई गई थी।

मा0 हरित अधिकरण के समक्ष हाथी गलियारे से सम्बन्धित मुद्दे उठाए गए हैं, चूंकि वन विभाग इस विषय हेतु सक्षम प्राधिकारी है, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करें, ताकि उक्त तथ्यों को मा0 हरित अधिकरण के समक्ष उचित रूप से प्रस्तुत किया जा सके। मा0 हरित अधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को नियत है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(डा. पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

Annexure-5

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या–1924/VII-A-1/2021/03(101)/2021
देहरादून: दिनांक: 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय संख्या–1875/VII-A-1/2021/03(101)/2021, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढवाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या–1875/VII-A-1/2021–03(101)/2021
देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) **"कलक्टर"** से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) **"आयुक्त"** से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) **"स्थानीय अधिकारी"** से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) **"व्यक्ति"** से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) **"पर्वतीय क्षेत्र"** के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढवाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) **"मैदानी क्षेत्र"** के अन्तर्गत जिला टिहरी गढवाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश,

डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) **"खनन सत्र"** से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;

(ञ) **"आबादी"** से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हों, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;

(ठ) **"नदी"** (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;

(ड) **बरसाती नदी, नाला एवं गधेरा** (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;

(ढ) **"नियमावली"** से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;

(ण) **"नदी के किनारे"** से उच्चतम बाढ़ स्तर "Highest flood level" अभिप्रेत है;

(त) **"महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी"** से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;

(थ) **"महानिदेशक"** से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(द) **"निदेशक"** से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) **"राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना"** से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(न) **"राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था"** से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्लू.डी, पी.डब्लू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है;

(2) **"शब्द और पद"**, जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय–I. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन **अनुसूची–1** में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित

क्षेत्रफल में एक समय मे भण्डारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में **रू.** 10,000/–विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण 5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन–साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लान्ट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के **15 दिन** के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर–6 में **गठित समिति** के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

स्थल चयन समिति 6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :–

1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो — सदस्य
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी — सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप **अनुसूची–2** में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक 7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :–

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :–

(1) पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लाट की स्थापना हेतु Non-Perennial river के किनारे से 25 मीटर, नदी (Perennial river) से दूरी 50 मीटर तथा सरकारी वन से दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के मानकों के समान होंगे।

(2) गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से निर्धारित क्षैतिज दूरी के मानकों के सापेक्ष मौके पर प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।

(3) आबादि से 300 मी0 के अन्तर्गत स्थित परिवारों/भूस्वामियों की एन0ओ0सी0/अनापत्ति अपरिहार्य होगी।

(4) आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

पर्यावरणीय मानक

8. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

(2) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम,1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल

9. इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवेदित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल, जो एक संहत खण्ड में हो, निम्नवत् होगा :–

(क) मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:– 0.75 है0 ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:– 0.10 है0 ।

(ग) प्लांट हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिर्पोट के अनुसार, प्लांट, हरित पट्टिका, धर्मकांटा, ऑफिस एवं वाहन के आवागमन हेतु मार्ग के क्षेत्रफल को छोडने के पश्चात् अवशेष क्षेत्र में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण उपलब्ध/आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार किया जायेगा।

(घ) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में प्लांट की वार्षिक क्रशिंग क्षमता की 1.5 गुना से अधिक की मात्रा का भण्डारण नहीं कर सकेगा।

(ड) स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट की वार्षिक कशिंग/स्कीनिंग क्षमता (टन में):– प्लांट की क्षमता (टन/घंटा) x स्टोन केशर प्लांट/स्कीनिंग प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10घंटा प्रतिदिन x 360 दिन।

(च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित माल का विक्रय

10. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को **नोटराईज्ड शपथ–पत्र** के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता

11. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2) क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :–
क– महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी
ख– विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी
ग–लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तद्नुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

अनुज्ञा शुल्क

12. **स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–**

क्र० सं०	संयत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रू0 **10.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 **20.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 **1.00 लाख** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 **2.00 लाख** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रू0 **2.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 **4.00 लाख** (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 **25,000.00** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 **1.00लाख** (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13. (1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति

सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर–प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :–

(1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।

(2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

(5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्‌टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(6) प्लान्ट में छेडछाड विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।

(7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

(8) खनिजों का रू. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण 15. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित विनियमितीकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितीकरण जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 01 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के 06 माह बाद **ई–प्रपत्र "जे"** केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

नवीनीकरण

16. स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–3** में वर्णित अभिलेखों सहित किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्थलीय निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी सहित संस्तुति सहित आख्या **अनुसूची–4** जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश, जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु भण्डारण सहित स्वीकृत किया जायेगा।

(3) प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।

(4) पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरणः

17. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदरों का नाम परिर्वतन–प्रत्येक हेतु रू0 2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 1.00 लाख।

प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण	18.	पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एव दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय–II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

आवेदन	19.	प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–5** में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय–2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
अनुज्ञा शुल्क	20.	**मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–** रू0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) रू0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु) रू0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु) रू0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)
आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण	21.	मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण–दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
स्थल चयन, मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति	22.	(1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

(3) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।

(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।

(6) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।

(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम **एक वर्ष** अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।

परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।

(8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

(9) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

नवीनीकरण 23. (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरणः	24.		मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः– इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः– 1. मोबाईल स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/– 2. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 25,000/–

अध्याय–III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

आवेदन	25.		हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची–6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।
अनुज्ञा शुल्क	26.		अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/–
अनुज्ञा स्वीकृति	27.	1.	जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
नवीनीकरण	28.		हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा। हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।
अन्य शर्तें	29.	(1)	प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(2) प्लान्ट को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा–निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण: 30. हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–
2. रेडिमिक्स (आर0एम0सी0) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–

अध्याय–IV. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

आवेदन 31. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची–7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 32. पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

स्थल चयन समिति 33. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

अनुज्ञा देने हेतु शर्तें 34. (क) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।

(ख) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।

(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लांट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगें।

(घ)प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to

establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ड) प्लांट स्वामी को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अपरिहार्य होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति 35. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

नवीनीकरण 36. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरणः 37. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु –रू. 50,000/–

विविध 38. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

39. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त

अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्व अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय–V. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :–

आवेदन 40. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–8** में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–8** में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन समिति 41. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त की जायेगी :–

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–8** में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति 42.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में

से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

मानक एवं अन्य शर्तें

43. (1) हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप मे मान्य होगा।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत **अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021**, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम–1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।

(4) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिगं प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फब्वारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।

(6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(7) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(8) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह

कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्कीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फब्वारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।

(11) फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फब्वारों में आवश्यकतानुसार जल–दाब बना रहे।

(12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाय। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।

(13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।

(14) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।

नीति का स्पष्टीकरण 44. इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुसूची–1

(06 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.............................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.................................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–...।

2– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.................................
पता–...
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला....................................
तहसील..............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल......................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति...।

6– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...................................... ....।

7– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0........................धनराशि.......................दिनांक....................।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

9–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता... ।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति... ।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .... ।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .... ।

14– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.................... ।

15– आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति .... ।

16– स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति.................... ।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति........................ ।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... .... ।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.. ।

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति.................................... ।.

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति...................... ।

23– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र................. ।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(अनुसूची–2)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नामः–..।

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–...।

3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण –...।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..।

5. आवेदक शुल्क का विवरणः–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणीः–

7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणीः–

8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक..।

9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्याः–

10. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक.......................।

11. प्रस्तावित संयत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति मे निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:–

क्र0सं0	स्थान	नीति मे निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :–

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:–

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	खसरा सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटराईज्ड शपथ पत्र:– ....।

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र... ....।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .... ।

13. वन विभाग की आख्याः–

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरीः– .... ।

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरीः– .... ।

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्याः– .... ।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .... ।

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

1. **(क)** नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 मे):–... ....

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लान्ट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता **(टन मे)**.................... ।

(ग) नीति के अध्याय– I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता **(टन मे)**– .... ।

(घ) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता **(टन मे)**:–............ ...... ।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध मे टिप्पणीः–.. ।

3 **(क)**. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .... ।

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय मे आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नही, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नही, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .... ।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स... ।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व मे स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों मे अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :– .... ।

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .... ।

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः– .... ।

8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक होः–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुतिः–

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि) वन विभाग, **सदस्य।**	**(जिला खान अधिकारी)** भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, **सदस्य सचिव।**	**(उप जिलाधिकारी)** राजस्व विभाग, **अध्यक्ष।**

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (अनुसूची–3)।

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला............................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..................................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–...।

2– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..................................

....

पता–:...
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

4– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति ....।

5– प्लान्ट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है ....।

6– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति..।

7– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).. .... ।

8– आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

9– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.......................................

क्र0सं0	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रू0)

10–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है.. ।

11–यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता .... ।

12– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति... ।

13– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .... ।

14– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .... ।

15– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति .... ।

16– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष मे जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.. .... ।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति... .... ।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

19– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों मे अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध मे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन हो तो मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

20– प्रचलित नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0–6 व अध्याय–III के बिन्दु सं0 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

21– आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैक में बंधक हो तो, संबंधित बैक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति... ......

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति...................... ।

23– पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति..... .... ।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(अनुसूची–4)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नामः–..।

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–...।

3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण –...।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं0	क्षेत्रफल

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..।

5. आवेदक शुल्क का विवरणः–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक......................।

7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

1. **(क)** नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 मे):–...
....

(ख) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है0 मे):– ....।

(ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल मे एक समय मे भण्डारण क्षमता **(टन मे)**............

(घ) नीति के अध्याय– I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता **(टन मे)**– ....।

(ड़) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता **(टन मे)**:–............

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट मे Tamper Proof इलैक्ट्रिानिक मीटर लगाया गया है अथवा नही................।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के है अथवा नही.................................. ।

4. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी...................................... ।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित.. .... ।

6. (क). स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरणः–............. ।

(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण .... ।

7. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणीः–

8. सी0सी0टी0वी0 संचालन की स्थिति के सम्बन्ध मे टिप्पणी... ।

9. विगत पॉच वित्तीय वर्षो मे प्लांट स्वामी के द्वारा क्रय–विक्रय किये गये उपखनिज का विवरणः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	प्लांट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन मे)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि मे जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरणः–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रू0)

11. नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति.................................... ।

12. नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिगं प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।

13. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणीः–

14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स.. ।

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:–

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:–

1. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति.......... .... ।
2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिगं प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उर्त्सजन 600 $\mu g/m^3$ से कम है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 मे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नही के सम्बन्ध में टिप्पणी.......................... ।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के है अथवा नही................................ ।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नही...................................... ।
8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फब्वारे की स्थापना की गयी है अथवा नही.................... ।
10. फब्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नही.................. ।
11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नही.................. ।
12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि.... .... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि............................ ।
13. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–
14. प्लांट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध:–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुति:–

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिल खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–5

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला............................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक................................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–..।

2– मोबाइल स्टोन केशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....
....

पता–..
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला...................................
तहसील.............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0........................धनराशि.....................दिनांक....................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण......................................

धनराशि....................वर्ष..........................से ....तक।

8– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

9–अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.......................... ।

10–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .... ।

11– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता.. ।

12–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति... ।

13–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतिं या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .... ।

14–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .... ।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.................... ।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति .... ।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति......................... ।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... .... ।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैक में बंधक हो, तो संबंधित बैक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.................................... ।.

20– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति...................... ।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–6

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी, आवेदन प्राप्ति का दिनांक................................
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर मे खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट का नामः–..।

2– हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–......................
....

पता–..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला....................................
तहसील.............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.........................धनराशि.......................दिनांक.....................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण......................................
धनराशि...................वर्ष.........................से ....तक।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

14– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति....................।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

17–आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति........................।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... ....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति......

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.................................. ।.

22– प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–7

(06 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला...........................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक...............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण_की अनुमति प्रदान की जाय।

1– पल्वराईजर प्लांट का नामः–...।

2– पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..
....
पता–..
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला......................................
तहसील...............................
ग्राम.....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.........................धनराशि........................दिनांक.....................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.......................................
धनराशि.....................वर्ष..........................से ....तक।

8– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता... ।

11– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति.. ।

12– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .... ।

13– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .... ।

14– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति.................... ।

15– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति .... ।

16– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति.................... ।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....

17– अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति......................... ।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति... .... ।

20– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

21 – आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...

22– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर.................................... ।

23– प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..................... ।

24– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र................. ।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(अनुसूची–8)

(03 प्रतियों मे)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक...............................

सेवा मे,

महानिदेशक,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये **स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट** की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नामः–...।

2– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नामः–..........
पता–..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –

क्र0 सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	ख0सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)..।

6– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0.........................धनराशि.......................दिनांक.....................।

7– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.........................।

8– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..।

9– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

10– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति ....।

11– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति.................... ।

12– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति .... ।

14– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति .... ।

15– राष्ट्रीय / राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति........................ ।

16– राष्ट्रीय / राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र / नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.............. ।

17– राष्ट्रीय / राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र / नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

18– आवेदित भूमि किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..

19– राष्ट्रीय / राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रेक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर.................................... ।

20– विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों / टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय / राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट मे उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप मे मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।

21– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र................. ।

मैं / हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ / करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं / हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ / हैं।

दिनांक..............................

आवेदक के हस्ताक्षर।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

क्रम संख्या–57 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 मई, 2023 ई0

ज्येष्ठ 04, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या 813/VII-A-1/2023/03(101) 2021

देहरादून, 25 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

प0 आ0–37

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु 6 "स्थल चयन समिति" में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

स्थल चयन समिति	6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी:–

वर्तमान प्रावधान			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष		1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य		2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव		3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।			4. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव
			चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।	

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 औ0वि0 / 232–2023–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।